

प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
इटावा, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/Visit Report/2024-25/ 2347

दिनांक: 26 .07.2024

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद इटावा की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम के द्वारा आपके जनपद इटावा की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 27 से 29 जून, 2024 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीय


(धीरेन्द्र सिंह सचान)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/NUHM/2024-25/

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मिशन निदेशक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, इटावा, उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कानपुर मण्डल, कानपुर।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, जनपद- इटावा, उ०प्र०।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद इटावा, को इस निर्देश के साथ कि आख्या का अनुपालन कराते हुये कृत कार्यवाही की प्रगति-रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा० ऊषा गंगवार)
महाप्रबन्धक, कम्प्यूनिटी प्रोसेस

भ्रमण आख्या- जनपद इटावा, 27-29 जून, 2024

भ्रमण टीम के सदस्य

1. श्री मसूद सालिम - परामर्शदाता, परिवार नियोजन
2. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव - कार्यक्रम समन्वयक, एन0यू0एच0एम0

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद इटावा का दिनांक 27 से 29 जून तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या निम्नवत् है-

डा० भीम राव अम्बेडकर जिला महिला चिकित्सालय - इटावा

- जिला महिला चिकित्सालय की साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक थी।
- शिकायत पेटिका एवं काण्डोम बाक्स इकाई के ओ.पी.डी. एरिया में लगे हुये पाये गये।
- कक्ष पर अंकित नाम एवं कक्ष के उपयोगिता में अन्तर पाया गया। इस हेतु कक्षों के अंकित नाम को सही कराया जाना आवश्यक है।
- चिकित्सक के द्वारा ओ.पी.डी. रजिस्टर में निदान एवं उपचार को अंकित नहीं किया गया था।
- रजिस्ट्रेशन हेतु उपयोग में लाये जा रहे कम्प्यूटर हेतु टेबल उपलब्ध नहीं था, इसकी उपलब्धता तुरन्त सुनिश्चित करायी गयी।

फैमिली प्लानिंग -

- फैमिली प्लानिंग काउन्सलर के द्वारा रिकार्ड पूर्ण रूप में अंकित नहीं किया जा रहा था।
- काउन्सलर के द्वारा लाभार्थियों के आधार सम्बन्धित विवरण रिकार्ड में अंकित नहीं किया जा रहा था, जबकि वहां पर उपस्थित लाभार्थियों के पास आधार कार्ड उपलब्ध पाया गया।
- काउन्सलर के रुम में कुछ औषधियों को आलमारी के उपर रखा गया था, इस सम्बन्ध में काउन्सलर के द्वारा कुछ भी उत्तर प्रदान नहीं किया गया।

इन्जेक्शन कक्ष -

- इन्जेक्शन कक्ष में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का वर्गीकरण नियमानुसार नहीं किया जा रहा था।
- लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाले इन्जेक्शन का रिकार्ड पूर्ण रूप से अंकित नहीं किया जा रहा था।
- कक्ष में उपलब्ध औषधियों को स्टोर में अव्यस्थित रूप में रखा गया था और इससे सम्बन्धित रिकार्ड अनुपलब्ध थे।
- स्टोर में रखी गयी औषधियों की लेवलिंग नहीं की गयी थी।

ए.एन.सी. -

- ए.एन.सी. हेतु आने वाली महिलाओं का एम.सी.पी. कार्ड नहीं बनाया जा रहा था।
- ए.एन.सी. रजिस्टर में एच.आर.पी. फैक्टर को दर्ज नहीं किया जा रहा था।

लेबर रुम -

- लेबर में रखी गयी औषधियों की लेवलिंग नहीं की गयी थी।
- लेबर में कन्ज्यूमेंब्लस एवं औषधियां कालीतीत अवस्था में पायी गयी।
- लेबर रुम में सफाई व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी।

- स्टेलाइजेशन मानकानुसार नहीं किया जा रहा था और उपकरणों में जंक लगा हुआ था। इस सम्बन्ध में ओ.टी. टेक्नीशियन से पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
- लेबर टेबल के बीच में पार्टिशन हेतु पर्दे नहीं लगे हुये थे।
- बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के मानको को पालन नहीं किया जा रहा था।
- सभी कलर कोडेड बॉक्स में लाल कलर की पालिथिन लगायी गयी थी, जबकि स्टोर में अन्य कलर की पालिथिन की उपलब्धता थी।
- इस सम्बन्ध में स्टोर इन्चार्ज को इन्डेंट लेबर रूम इन्चार्ज द्वारा उपलब्ध कराया गया था।
- लेबर रूम की फोकस लाइट अक्रियाशील पायी गयी।
- रियल टाइम पार्टोग्राफ नहीं बनाये जा रहे थे।
- लेबर रूम स्टाफ से वार्ता के दौरान पाया गया कि मांग पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी स्टोर से ससमय एवं पर्याप्त मात्रा में सामग्री की उपलब्धता नहीं करायी जा रही है।
- इन्टरनेट की समस्या होने के कारण मत्रा एप्लीकेशन पर रिकार्ड को पूर्ण नहीं किया जा रहा था।

एस.एन.सी.यू. -

- एस.एन.सी.यू. में 01 ए.सी. खराब होने के कारण भ्रमण के समय रूम टेम्परेचर 32 डिग्री तक था। इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुये सी.एम.एस. के द्वारा एक ए.सी. की व्यवस्था कराते हुये इन्स्टाल कराया गया।

लैब -

- लैब में टॉनीकेट खराब अवस्था में पाया गया।
- पन्चर प्रूफ कन्टेनर/हबकटर का उपयोग नहीं किया जा रहा था, जबकि पन्चर प्रूफ कन्टेनर स्टाक में उपलब्ध था।
- लैब में यूरिन सैम्पल कलेक्शन हेतु कन्टेनर लैब में उपलब्ध नहीं पाया गया।

फार्मसी -

- फार्मसी स्टोर में औषधियों की लेवलिंग नहीं की गयी थी।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - शिव नरायन मण्डिया और कोकपुरा

1. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है, परन्तु इकाई पर मानकानुसार स्थान की उपलब्धता नहीं है और ना ही लैब, योगा रूम आदि के लिये उचित/पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
2. उक्त के दृष्टिगत भवन को नियमानुसार रिलोकेट किये जाना उचित प्रतीत होता है।
3. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित पाये गये।
4. निरीक्षण के समय 47 मरीजों को ओपीडी में देखा गया था।
5. लैब में की जाने वाली समस्त जाँचों के विषय में लैब टेक्नीशियन को पता नहीं था।
6. लैब टेक्नीशियन के द्वारा विगत छः माह से रियजेन्ट सम्बन्धी मांग पत्र स्टोर को प्रेषित नहीं किया गया है और किट के माध्यम से केवल 7 प्रकार की जाँचों को किया जा रहा है, जो कि बहुत ही असन्तोषजनक है।
7. राज्य स्तर से प्रेषित दिशा-निर्देश की अनुसार उपकरणों की उपलब्धता/क्रियाशीलता नहीं पायी गयी। जैसे - आक्सीजन सिलेण्डर, एम्बू बैग, सेन्ट्रीफ्यूज, आदि।

8. रेफरल स्लीप पूर्ण रूप से नहीं भरी जा रही थी।
9. पीपीआईयूसीडी फालोअप कार्ड को कमवार एवं पूर्ण रूप से भरा जाय।
10. अग्निशमन यन्त्र लेबर रूम में रखा हुआ पाया गया इसको कमरे के बाहर उचित स्थान पर लगाया जाना उचित है।

आयुष्मान आरोग्य मन्दिर, उपकेन्द्र – फतेहगंज, ब्लॉक – महेवा

1. आयुष्मान आरोग्य मन्दिर की साफ सफाई संतोषजनक पायी गयी।
2. सी.एच.ओ. के कमरे में विजुत आपूर्ति एवं बैकअप, पानी की व्यवस्था थी, परन्तु ए.एन.एम. कार्यस्थल पर पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं करायी गयी है।
3. पूर्ण ए.एन.सी. जांच इकाई पर नहीं किया जा रहा है।
4. ए.एन.एम. को एच.आर.पी. एवं लक्ष्य दम्पति के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी का अभाव पाया गया।
5. इकाई पर उपलब्ध औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी।
6. सी.एच.ओ. का सामाजिक स्तर पर सहभागिता की गयी है।
7. इकाई पर वाटर क्लोरिन, वी.आई.ए. एवं फायलेरिया की जांच नहीं की जा रही थी।
8. फुट स्टेप इकाई पर उपलब्ध नहीं था।
9. ए.एन.एम. के पास एग्जामिनेशन टेबल उपलब्ध नहीं था।
10. डायग्नोस्टिक टेस्ट ट्रेकर का रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – बिजौली, ब्लॉक – महेवा

1. इकाई पर साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।
2. शिकायत पेटिका से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं पाये गये और शिकायत पेटिका लम्बे समय से बन्द प्रतीत हो रही थी।
3. डेड स्टॉक रजिस्टर में फार्मासिस्ट के द्वारा अभी तक किसी भी सामग्री को खारिज नहीं दर्शाया गया था।
4. स्टोर रूम में औषधियों की लेवलिंग नहीं की गयी थी।
5. इकाई पर बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन नहीं किया जा रहा था, इकाई पर बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु एजेन्सी नहीं आ रही है और सभी वेस्ट को एक पिट में डाला जा रहा था।
6. चिकित्सक, स्टाफ नर्स, ए०एन०एम० को ए०सी०डी०/सी-बैक के विषय में कोई जानकारी नहीं थी।
7. स्टाफ नर्स के द्वारा प्रसव कराया जा रहा था।
8. आक्सीजन सिलेण्डर पर लगा हुआ मास्क गंदा था और खुला हुआ था।
9. आक्सीजन सिलेण्डर के उपयोग से सम्बन्धित जानकारी स्टाफ नर्स को नहीं थी।
10. मिनी आटो क्लेव एवं ब्यालर में पानी काफी दिनों से भरा हुआ रखा था।
11. इकाई पर कम्प्यूटर एवं प्रिंटर उपलब्ध नहीं था।
12. रेफरल से सम्बन्धित रिकार्ड नहीं बनाये जा रहे थे।
13. फार्मसी में औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी।
14. 07 ट्रे की उपलब्धता थी, परन्तु उनमें सभी औषधियां/सामग्री/उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – महेवा

1. इकाई पर वेटिंग एरिया में एल.ई.डी. टी.वी. लगी हुई थी, परन्तु प्रचार प्रसार सम्बन्धित आई.ई.सी. को संचालित नहीं किया जा रहा था।

2. टी.बी. लैब में साफ सफाई का अभाव पाया गया।
3. मरीजों के पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन रजिस्टर की जगह ओपीडी रजिस्टर का उपयोग किया जा रहा था।
4. लैब में समस्त जांचों को नहीं किया जा रहा था और ना ही लैब टेक्नीशियन को कितनी प्रकार की जांच की जानी है इस विषय में जानकारी थी। लैब टैस्ट हेतु आरबीएसके के रजिस्टर का उपयोग किया जा रहा था।
5. चिकित्सक द्वारा भरे जा रहे ओपीडी रजिस्टर में केवल मरीजों का नाम का अंकन किया जा रहा था, उससे सम्बन्धित निदान एवं उपचार का अंकन किसी भी मरीज का नहीं पाया गया।
6. फुट स्टेप इकाई पर उपलब्ध नहीं था।
7. फार्मसी में औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी। फार्मसी हेतु प्रदत्त कम्प्यूटर भी स्टोर कक्ष में उपलब्ध नहीं पाया गया और फार्मासिस्ट को डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया। फार्मसी में एक्सापरी रजिस्टर में सभी औषधियों को अंकित नहीं किया गया था।
8. इकाई पर बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार सेग्रिगेशन नहीं किया जा रहा था।
9. कोल्ड चेन कक्ष में भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड सत्यापन में रोटो वैक्सीन की संख्या में अन्तर पाया गया, जिस पर कोल्ड चेन हैंडलर के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं किया जा सका।
10. ए.एन.सी. रजिस्ट्रेशन के साथ सभी ए.एन.सी. महिलाओं को एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था।
11. प्रसव कक्ष में रिकार्ड बनाये गये हैं और भरे जा रहे हैं, परन्तु इनमें सही जगह पर सही रिकार्ड को अंकित नहीं किया जा रहा था, इस सम्बन्ध में सभी स्टाफ को बताया गया।


PC-NUM
SPMU-NHM


सरवग्या सालास
सहायक परिवार निदेशक
एन.सी.एम.पी.एन.एस